

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :- प्रभजोत सिंह गिल आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :-46/19

लालचन्द पुत्र लाधुराम जाति जाट साकिन माधोडिग्गी चक 17 पी.के.डी. तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।

प्रार्थी

बनाम

1. बिरमा देवी पत्नि पतराम जाति जाट साकिन माधोडिग्गी चक 17 पी.के.डी. तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
2. हंसराज पुत्र सुरजाराम जाति जाट साकिन माधोडिग्गी चक 17 पी.के.डी. तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व खाजूवाला जिला बीकानेर।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर.टी.एक्ट
सुखाधिकार अधिनियम एवं 151 सी.पी.सी.

—: निर्णय :-

दिनांक :- 16.03.2021

प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार से है कि चक 17 पीकेडी के मुरब्बा नंबर 223/18 प्रार्थी लालचंद पुत्र लादूराम के नाम दर्ज है। प्रार्थी के खेत तक पहुंचने के लिए कोई कटान रास्ता उपलब्ध नहीं है। प्रार्थी द्वारा मुरब्बा नंबर 223/25 के किला 21 से 25 और मुरब्बा नंबर 223/17 के किला नंबर 25 में 2-2 बिस्वा रास्ता चाहा गया है। मुरब्बा नंबर 223/25 अप्रार्थी संख्या एक के नाम दर्ज है और मुरब्बा नंबर 223/17 अप्रार्थी संख्या दो के नाम दर्ज है।

अप्रार्थी गण द्वारा लिखित जवाब प्रस्तुत किया गया। अप्रार्थीगण अपने खेत में से रास्ता देने के लिए राजी हैं उनका कहना है कि उन्होंने रास्ते के बदले में प्रार्थी लालचंद से राशि प्राप्त कर ली है। इसलिए अगर रास्ता कटान किया जाता है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

अप्रार्थीगण की सहमति के आधार पर अदालत यह फैसला करती है मुरब्बा नंबर 223/17 के किला नंबर 21 से 25 में प्रत्येक किले की दक्षिणी सीमा के साथ-साथ 16 फीट चौड़ा रास्ता व मुरब्बा नंबर 223/17 के किला नंबर 25 में 8 फीट चौड़ा रास्ता कायम किया जाए। तहसीलदार खाजूवाला को निर्देशित किया जाता है कि उक्त रखबे का अंकन राजस्व रिकॉर्ड में गैर मुमकिन रास्ते के तौर पर करें।

निर्णय आज दिनांक 16.03.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रभजोत सिंह गिल),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

